भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4936
जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

पुरानी मिलों का जीर्णोद्धार

4936. श्री फिरोज वरुण गांधी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पांच वर्ष से अधिक गैर-कार्यशील पुरानी मिलों के जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): 'उद्योग' राज्य का विषय है, इसलिए पुराने मिलों के पुनरुद्धार का कार्य संबंधित राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों अथवा उस संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है जिसके अधीन वह सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। भारी उद्योग विभाग का संबंध अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से है। उनके पुनरुद्धार/बंद करने से संबंधित निर्णय भी इसमें शामिल हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यम नामतः नेपा लिमिटेड और नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) के कागज मिल हैं। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के लिए क्रमशः सितंबर, 2012 तथा जून, 2013 में पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किए हैं। पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन के पश्चात् सरकार ने नेपा लिमिटेड तथा एनपीपीसी लिमिटेड को उनके पुनरुद्धार के लिए अब तक क्रमशः ₹85.28 करोड़ तथा ₹100 करोड़ जारी किए हैं।

****